रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248434
CG-DL-E-31082023-248434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 497]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का.नि . 637(अ)—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 155 की उपधारा (20) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवाँ संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 133 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**134. धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन स्रोत पर कटौती किए गए कर के प्रत्यय के संबंध में आवेदन—**(1) निर्धारिती द्वारा धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित आवेदन प्ररूप सं. 71 में होगा ।

(2) प्ररूप सं. 71, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं. 71,--

(i) यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हो तो, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से,

इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप सं. 71 प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करेंगे तथा इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखागारीय और पुन:प्राप्ति नीतियों के विरचन और सृजन के लिए भी उत्तरदायी होंगे ।

(5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्ररूप सं. 71, निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

3. मूल नियमों में, प्ररूप सं. 70 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 71

[नियम 134 देखिए]

[ई-प्ररूप]

धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन स्रोत पर कटौती किए गए कर के प्रत्यय के लिए आवेदन

1.	आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम	:	
(2)	आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पैन और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)	:	
(3)	उस व्यक्ति का नाम, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (यदि (1) से भिन्न है) (टिप्पण 1 देखें)	:	
(4)	उस व्यक्ति का पैन, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (यदि (2) से भिन्न है) (टिप्पण 1 देखें)	:	
(5)	क्या व्यक्ति, जिसकी कटौती की गई है, निवासी है या अनिवासी ?	:	
(6a)	आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पता	:	
(6b)	आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पिन/जिप कोड	:	
(7)	ई-मेल पहचान	:	
(8)	मोबाइल सं.	:	
(9)	धारा 155 की उपधारा (20) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष (टिप्पण 2 देखें)	:	
(10)	धारा 155 की उपधारा (20) में निर्दिष्ट पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष	:	
(11)	तारीख, जिसको सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी प्रस्तुत की गई थी (दिन/मास/वर्ष)	:	
(12)	(9) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष के संदर्भ में ब्यौरे	:	

सारणी

क्र.सं.	सुसंगत निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की विवरणित कुल आय/ समझी गई कुल आय/ हानि (टिप्पण 3 देखें)	आय की विवरणी में सम्मिलित विनिर्दिष्ट आय* की रकम (टिप्पण 4 देखें)	विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति (टिप्पण 4 देखें)	वह दर, जिस पर विनिर्दिष्ट आय, कर के अध्यधीन थी	पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय पर कटौती किए गए कर की रकम	कर कटौती की तारीख (दिन/ मास/ वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

वह दर, जिस पर कर कटौती की गई	कटौती किए गए कर के केंद्रीय सरकार को संदाय की तारीख (दिन/ मास/ वर्ष)	आय-कर अधिनियम, 1961 की वह धारा, जिसके अधीन कर की कटौती की गई	(6) में से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए दावा किए गए कर की रकम	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का टैन	कटौतीकर्ता का पैन
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
योग						

* विनिर्दिष्ट आय से धारा 155 की उपधारा (20) में यथा विनिर्दिष्ट कोई आय अभिप्रेत है, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी में सम्मिलित की गई है और ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती की गई है और अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के खाते में पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में संदाय किया गया है ।

सत्यापन

मैं, …………………………………………, पुत्र/पुत्री ...., जिसकी पैन/आधार संख्या .... है, यह घोषित करता/करती हूं कि,--

क) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऊपर दी गई सूचना सही, पूर्ण और सत्य कथित है ।

ख) धारा 139 के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए मैंने आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है ।

ग) मैंने प्ररूप सं. 71 में दावा की गई विनिर्दिष्ट आय पर स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय का दावा किसी अन्य निर्धारण वर्ष में नहीं किया और उसका दावा नहीं करूंगा/करूंगी ।

घ) मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि ……………………………… के .... की मेरी हैसियत में, मैं आवेदन कर रहा/रही हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।

तारीख .... हस्ताक्षर :

स्थान .... पता :

टिप्पण :

1. पंक्ति सं. 3 और 4 में सूचना अपेक्षित होगी, जहां,--

(i) पश्चात्वर्ती इकाई, उस पूर्ववर्ती इकाई के लिए प्ररूप प्रस्तुत कर रही है, जो अब अस्तित्व में नहीं है ।

(ii) प्ररूप मृत व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रत्येक पूर्ववर्ती इकाई के लिए पृथक् प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि एक से अधिक पूर्ववर्ती इकाइयां हो तथा पश्चात्वर्ती इकाई के लिए पृथक् प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

2. प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए पृथक् प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. यथास्थिति, नवीनतम सूचना/निर्धारण/पुन: निर्धारण/सुधार/पुन:संगणना आदेश के अनुसार, कुल आय/ समझी गई कुल आय/ हानि रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

4. एक से अधिक प्रविष्टि के लिए, पृथक् पंक्तियां भरी जाएं।

[अधिसूचना सं. 73/2023 फा.सं. 370142/30/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनन्द, अवर सचिव

टिप्पण - मूल नियम, संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 630(अ), तारीख 28 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 637(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (20) of section 155 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:–

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (Twentieth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the 1st day of October, 2023.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 133, the following rule shall be inserted, namely—

"134. Application under sub-section (20) of section 155 regarding credit of tax deduction at source. — (1) The application required to be made by the assessee under sub-section (20) of section 155 shall be in Form No. 71.

(2) Form No. 71 shall be furnished to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems).

(3) Form No. 71, shall be furnished electronically, —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedures for furnishing Form No. 71 and shall also be responsible for formulating and evolving appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the form so furnished.

(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall forward Form No. 71 to the Assessing Officer.".

3. In the principal rules, after Form No. 70, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 71

[See rule 134]

[e-Form]

Application under sub-section (20) of section 155 for credit of tax deduction at source (TDS)

(1)	Name of the person furnishing the application	:
(2)	PAN and Aadhaar number (if available) of the person furnishing the application	:
(3)	Name of the person in respect of which the application is being furnished (if different from (1)) (See note 1)	:
(4)	PAN of the person in respect of which the application is being furnished (if different from (2)) (See note 1)	:
(5)	Whether the deductee is resident or non-resident?	:
(6a)	Address of the person furnishing the application	:
(6b)	PIN/ Zip Code of the person furnishing the application	:
(7)	E-mail Id	:
(8)	Mobile Number	:
(9)	Relevant Assessment Year referred to in sub-section (20) of section 155 (see Note 2)	:
(10)	Subsequent financial year referred to in sub-section (20) of section 155	:
(11)	Date on which return of income for relevant assessment year was furnished (dd/mm/yyyy)	:
(12)	Details with reference to Relevant Assessment Year referred to in (9)	:

TABLE

S. No.	**Total income/ deemed total income / loss of assessee returned in the relevant assessment year (See Note 3)**	**Amount of Specified income* included in return of income (See Note 4)**	**Nature of specified income (See Note 4)**	**Rate at which the specified income was subject to tax**	**Amount of tax deducted on specified income in subsequent financial year (See Note 4)**	**Date of deduction of tax (dd/mm/ yyyy)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Total						

Rate at which tax deducted	**Date of payment of tax deducted to the Central Government (dd/mm/ yyyy)**	**Section of Income-tax Act 1961 under which tax deducted**	**Amount of tax out of (6) claimed for relevant assessment year**	**Name of deductor**	**TAN of deductor**	**PAN of deductor**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
Total						

*Specified income means any income referred to in sub-section (20) of section 155 which has been included in the return of income of relevant assessment year and tax on such income is deducted at source and paid to the credit of the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XVII-B in a subsequent financial year.

VERIFICATION

I……………………….…….… son/daughter of…………..……………………..having PAN/Aadhaar number …………………... do hereby declare that: -

a) To the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated.

b) I have furnished the return of income in which such specified income was included, for the relevant assessment year under section 139.

c) I have not claimed credit for the tax deducted at source on the specified income claimed in Form No. 71 in any other assessment year and will not claim the same.

d) I also declare that I am making application in my capacity as ……………………. of …………………… and I am also competent to make this application and verify it.

Date: Signature:
Place: Address:

Note:

1. Information in Row no. (3) and (4) would be required where:

(i) the successor entity is furnishing the Form for predecessor entity who is no longer in existence

(ii) the Form is furnished by the legal heir of deceased person

Separate Form must be furnished for each predecessor entity if there is more than one predecessor and separate Form must be furnished for successor.

2. For each relevant assessment year, separate form should be furnished.

3. Total income/deemed total income/loss should be reported as per latest intimation/ assessment/ re-assessment/ rectification / re-computation order, as the case may be.

4. For more than one entry, separate rows may be filled.

[Notification No. 73/2023/F. No. 370142/30/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy.

Note.–The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 630(E) dated 28th August, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA